न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी आसीन्द
बईजलास श्री सी.एल.शर्मा (आर.ए.एस.)

मेन्यूअल प्रकरण संख्या	19/2020
G.C.M.S.प्रकरण संख्या	2020/00111
प्रकरण दर्ज होने की दिनांक	04.08.2020
प्रकरण में निर्णय की दिनांक	02.08.2021

उनवान

1.नारायण पि.जग्गा जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.लेहरू पि.देबी जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.सांवर पि.देबी जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.गीता पुत्री देबी जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
5.लीला पुत्री देबी जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
6.सीता पुत्री जमना जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा —प्रार्थीगण

बनाम

1.चुनी पि.गोपाल जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
2.नारायण पि.गोपाल जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
3.बदामी पि.गोपाल जाट नि.बराणा पटवार हल्का बराणा तहसील आसीन्द जिला भीलवाड़ा
4.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आसीन्द जिला भीलवाड़ा —अप्रार्थीगण

उपस्थित - वकील प्रार्थिया	(1) श्री पदमसिंह देथा
उपस्थित -वकील अप्रार्थीगण	(1) श्री मुनीरगनी शेख

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आदेश

(1) प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA मे इस न्यायालय में प्रस्तुत कर संक्षेपतःनिवेदन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त अनवान का एक वाद पत्र आप न्यायालय में स्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया हुआ है जो जैर कार्यवाही है तथा जिसमे समय लगने की संभावना है जिसमें प्रार्थीगणों को अवश्यमेव सफलता प्राप्त होगी। वाद विचारण तक स्थायी निषेधाज्ञा हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

(2) राजस्व ग्राम भाटीखेड़ा पटवार हल्का बराणा की सरहद में जमाबन्दी संवत 2068-2071 तक की खाता संख्या 07 पर कुल किता 28 रकबा 28.57 हैक्टर भूमि दर्ज चली आ रही है थी जिसमे कि प्रार्थीगण का भी 3.24 हैक्टर भूमि पर हक व हिस्सा निहि[illegible] का हिस्सा साबिक रेकार्ड में तो दर्ज है परन्तु हाल राजस्व रेकार्ड में उसका अंकन दर्ज नहीं है[illegible]

(3) उक्त हिस्से की विपक्षीगण को जानका[illegible] की जानकारी होते हुये भी न्यायालय के विभाजन डिक्री अनुसार उ[illegible] आ.नं.1012, 1117/916, [illegible]33, 1119/1033,1130/1027,921 व 976 को विभाजन से विपक्षीग[illegible]नाम दर्ज कर दिये गये तथा उ[illegible]यात में से प्रार्थीगण के वली हरलाल के पश्चात जग्गा व धन्ना का नाम दर्ज नहीं होने से उक्त आराजियात अप्रार्थीगण के नाम विभाजन से दर्ज हो गयी परन्तु उपरोक्त आराजियात में से आराजी नम्बर 1012 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि पर कब्जा व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा

काश्त करीबन 60-70 सालों से प्रार्थीगण का ही निरन्तर चला आ रहा है परन्तु हाल जमाबन्दी में नाम दर्ज नहीं होने के कारण विपक्षीगण प्रार्थीगण को अवैध रूप से कब्जा बेदखल करने पर आमादा है।

4.प्रार्थीगण विरूद्द विपक्षीगण के इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति प्राप्त करने के कानूनन अधिकारी है कि विपक्षीगण अवैध तरीके से प्रार्थीगण को कब्जा बेदखल आदि न करें ,न ही करावें। अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

5.विपक्षीगण द्वारा प्रार्थीगण को जबरन एंव अवैध रूप से कब्जा बेदखल की धमकी दी जाती है तथा विपक्षीगण प्रार्थीगण की कब्जे काश्त शुदा जायदाद पर अवैध रूप से नाजायज कब्जा कर प्रार्थीगण को कब्जा बेदखल करने पर आमादा है जिसको करने का प्रार्थीगण को कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण विरूद्द विपक्षीगण के अवैध कब्जा बेदखली के विरूद्द अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति पारित किया जाना उचित होकर न्यायहित में है।

6.अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि मूल वाद के निस्तारण तक बहक प्रार्थीगण विरूद्द विपक्षी संख्या 1 से 3 के अस्थायी निषेधाज्ञा की आज्ञाप्ति इस आशय की पारित फरमायी जावें कि राजस्व ग्राम भाटीखेड़ा पटवार हल्का बराणा की आ.नं.1012 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि से प्रार्थीगण की अवैध बेदखली नहीं करें ,न ही करावें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।

7.प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर की अधिवक्ता श्री मुनीरगनी शेख ने अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जो शामिल पत्रावली है । अप्रार्थी संख्या 4 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुये।

7.वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में बहस सुने जाने की इस्तदुआ करने पर वकील उभयपक्ष बहस सुनी गयी। वक्त बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना फरमावें कि वे ग्राम भाटीखेड़ा के आ.नं.1012 रकबा 2.43 हैक्टर भूमि से प्रार्थीगण की अवैध बेदखली नहीं करे तथा न ही करावें। प्रार्थीगण का उक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा है परन्तु वर्तमान रेकार्ड में हमारा खाता दर्ज नहीं है। मेरे हिस्से पर 60-70 वर्षों से मेरा कब्जा है। मेरा नाम जमाबन्दी से हटा दिया गया है।

8.बहस वकील अप्रार्थीगण सुनी गयी। वकील अप्रार्थीगण ने कथन किया कि अदालत में गलत फेक्ट प्रस्तुत किया गया है। खातेदार को परेशान नहीं किया जावें। खातेदार के विरूद्द स्थगन नहीं दिया जा सकता है। सव्यय प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

9. प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि इस न्यायलय के क्षैत्राधिकार / श्रवणाधिकार में स्थित है।

(10) बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन / अध्ययन किया जिससे जाहिर आया कि उक्त विवादित आराजियात में प्रथम दृष्टया मामला अपूरणीय क्षति एंव सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में पाये जाने से प्रार्थीगण उपरोक्त आराजियात के सम्बन्ध में वाद के अन्तिम रूप से फैसला होने तक अस्थायी निषेधाज्ञा का अधिकारी पाया जाता है

क्रियात्मक- आदेश

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1से 3 तक को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि निज कृषि भूमि में कब्जे काश्त से प्रार्थीगण की अवैध बेदखली नहीं करें ,न ही करावें अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द रहें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sandeep Kumar
Date: 2022.01.25 15:36:03 IST
Reason: SelfAttested

नाम ग्राम	आराजी नं.	रकबा
बराणा	1012	2.43

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें। निर्णय आज दिनांक 02.08.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सी.एल.शर्मा)
सहायक कलेक्टर (S.D.O.)
आसीन्द जिला-भीलवाड़ा